

प्रेषक,

शैलेन्द्र निगम,

(आई.डी.नं. यू.पी. 6182)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)

आजमगढ़।

सेवा में

श्रीमान् महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,

आजमगढ़।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated: July 16, 2024 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 के क्रम में पुरानी पेंशन के विकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या Sa-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated 28.03.2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञप्ति संख्या A-2/E-1/2003 दिनांकित 22- 28 नवम्बर, 2003 के अन्तर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा पुरानी पेंशन चुने जाने का विकल्प पत्र संलग्न किया जा रहा है-

1. विकल्प पत्र,

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के विकल्प पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। सादर।

दिनांक 20.07.2024

Office of the District Judge, Azamgarh
Letter No. 1244/P. Date. 22.07.2024
Forwarded for information and necessary action

District Judge
Azamgarh

भवदीय,

Shailendra Nigam
(शैलेन्द्र निगम)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
आजमगढ़।

(आई.डी.नं. यू.पी. 6182)

शासनादेश संख्या- 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 का

संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम शैलेन्द्र निगम (आई.डी.नं. यू.पी. 6182)
2. वर्तमान पदनाम अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), आजमगढ़।
3. वेतनमान 183490/- (144340- 194660 Level J - 5)
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्ति अनुभाग-4) उ० प्र० शासन, लखनऊ।
6. विज्ञप्ति की तिथि 22-28 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं०- A-2/E-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26.05.2006 (संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी. -1)
8. योगदान की तिथि 14.06.2006
9. जन्म तिथि 21.02.1971
10. सेवानिबृत्ति की तिथि 28.02.2031

मैं शैलेन्द्र निगम (आई.डी.नं. यू.पी. 6182) पुत्र श्री डा० ओम प्रकाश निगम शासनादेश संख्या- 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।


हस्ताक्षर 

नाम शैलेन्द्र निगम (आई.डी.नं. यू.पी. 6182)

पदनाम अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश
(ई०सी०एक्ट), आजमगढ़।

घोषणा पत्र

मैं शैलेन्द्र निगम (आई.डी.नं. यू.पी. 6182) पदनाम अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), आजमगढ़ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


हस्ताक्षर 

नाम शैलेन्द्र निगम (आई.डी.नं. यू.पी. 6182)

पदनाम अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी०एक्ट), आजमगढ़।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री शैलेन्द्र निगम (आई.डी.नं. यू.पी. 6182) पदनाम अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), आजमगढ़ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति